



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नकली नोटों के कारोबार को संचालित करने वाले **04 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास व 01 लाख रुपए के अर्थदंड** की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 964/2006 धारा-489ख,489ग, भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफ.टी.सी. द्वितीय/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 04 अभियुक्तों **1.अखिलेश पुत्र भगवानदास कुचबंधिया 2.वकील पुत्र कल्लू कुचबंधिया 3.खन्ना पुत्र फूल सिंह कुचबंधिया 4. मुन्ना पुत्र रामसिंह** निवासीगण नई बस्ती चरखारी रोड कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को **10 वर्ष का कारावास व 01 लाख रुपए के अर्थदंड** से दण्डित किया गया।



ADGC श्री जगदीश  
अनुरागी



विवेचक  
उ0नि0 श्री चन्द्रपाल



पैरोकार थाना राठ  
का0 प्रदीप भार्गव